ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान कालेजों में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए विशेष योजना हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान कालेजों में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए विशेष योजना हेतु दिशानिर्देश।

1. प्रस्तावना

वांछित शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों के ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्थानों में जाने से छात्रावासों के लिए मांग बढ़ गई है। एक आवासीय इकाई के रूप में छात्रावास सामुदायिक रहन–सहन को बढ़ावा दे सकता है; सुरक्षा प्रदान कर सकता है, विशेषकर महिला छात्रों को, जिन्हें अनजान शहरों मे अकेले रहना पड़ता है या फिर छोटे समूहों में रहना पड़ता है। विशेष तौर पर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में बल्कि देश के कुछ प्रतिष्ठित तथा पुराने सह–शिक्षा संस्थान, जो कि पहले के दशकों में पुरुष छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे जब महिलाएं अपने निवास स्थान के अलावा कहीं और शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाती थी, उन संस्थानों में भी महिला छात्रावासों की भारी कमी है। आज, महिलाएं, पुरुषों की बराबरी कर रही हैं कई मामलों में पेशेवर तथा साथ ही पारम्पारिक शिक्षा दोनों में ही उनसे प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं। जबकि आज महिलाएं कुल नामांकन का एक तिहाई हैं वास्तव में उनका नामांकन देश के अनेक राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है। तथापि, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं हेतु छात्रावास सुविधाओं में उतनी वृद्धि नहीं हुई है।

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए उद्देश्य से छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा साथ ही लिंग समानता लाने और महिलाओं के बराबर प्रतिनिधित्व के लिए, आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

आयोग ने 11 और 23 जून, 2006 को हुई अपनी बैठक में गैर–मेट्रो शहरों के लिए महिला छात्रावास हेतु अधिकतम सहायता को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 25 लाख से

1.00 करोड़ रुपये तथा मेट्रो शहरों के लिए 2.00 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया ताकि तेजी से महिला शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके एवं सहायता दी जा सके। वे कालेज तथा विश्वविद्यालय जिन्होंने आठवीं योजना तथा उसके पश्चात् पहले ही अनुदान प्राप्त कर लिया है वे भी छात्रावास विस्तार हेतु पुनः अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे केवल उन्हें भुगतान किए जाने वाले शेष अनुदान के लिए ही पात्र होंगे। अन्य शब्दों में, अधिकतम राशि को पहले प्राप्त राशि से घटा दिया जाएगा।

2. **उद्देश्य**

महिला छात्रों/अनुसंधानकर्त्ताओं/शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को आवास उपलब्ध कराने के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी अर्हक कालेजों को सहायता देना।

3. **पात्रता/लक्ष्य**

कालेज जिन्हें धारा 2 (च) के तहत शामिल किया गया है तथा जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. **सहायता की प्रकृति**

योजना के तहत कालेजों को शत–प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाएगी जो कि नीचे दी गई अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी :–

महिला नामांकन (तीन अकादमिक सत्रों की औसत)+	गैर–महानगरों के संबंध में राशि (रुपये लाख में)	महानगरों के संबंध में राशि (रुपये लाख में) *
कालेज	कालेज	कालेज
250 तक	40.00	80.00
251–500	60.00	100.00
500 से अधिक	80.00	120.00

+ 'वर्तमान सत्र', जब इस सत्र से दो सत्र पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो।

* वे शहर जिन्हें भारत सरकार द्वारा महानगर घोषित किया गया है (चेन्नई, मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता)।

वि0अ0आ0 आवंटन से अतिरिक्त व्यय को संस्थान द्वारा अपने स्वयं के संसाधन द्वारा पूरा करना होगा जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित संस्थान द्वारा स्पष्ट ब्यौरा तथा आश्वासन देना होगा। वि0अ0आ0 आवंटन से अतिरिक्त लागत में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं करेगा।

5. **योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया**

जब कभी भी वि0अ0आ0 द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान अनुलग्नक–I में दिए गए विहित प्ररूप में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. **अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया**

1. वि0अ0आ0 द्वारा विहित भवन की सामान्य शर्ते लागू होंगी। भवन निशक्त व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए। निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए।

2. अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान (अनुलग्नक–II के अनुसार) द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के संबंध में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

3. यदि कालेज पूर्व की योजनाओं में महिला छात्रावास के निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुका है, तो संशोधित योजना के तहत अनुदान को पूर्व की परियोजनाओं के पूरा होने पर ही जारी किया जाएगा।

4. उन निर्माण के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, जिनमें प्रस्तावित परियोजना की योजना तथा अनुमान के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही कार्य आरंभ कर दिया गया ।

7. योजना के तहत आवेदन के लिए प्ररूप

आवेदन का विहित प्ररूप अनुलग्नक–I पर संलग्न है। संस्थानों से अनुलग्नक– II में दिए गए दस्तावेजों सहित विहित प्ररूप में अपने प्रस्ताव को जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

अनुलग्नक– I	महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा।
अनुलग्नक–II	महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव जमा करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की सूची/सूचना।
अनुलग्नक–III	भवन परियोजनाओं हेतु निधियां जारी करने के लिए प्रगति रिपोर्ट।
अनुलग्नक–IV	उपयोगिता प्रमाणपत्र।
अनुलग्नक–V	कार्य समापन प्रमाणपत्र।
अनुलग्नक–VI	परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र।
अनुलग्नक–VII	आय तथा व्यय का विवरण।
अनुलग्नक–VIII	उपयोगिता प्रमाण पत्र।
अनुलग्नक–IX	लागत पूर्णता प्रोफार्मा।
अनुलग्नक–X	भवन निर्माण हेतु विकास सहायता के लिए वि0अ0आ0 के ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देश।

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा

1. कालेज का नामः

   1. (क) न्यास/सोसाइटी का नाम (केवल कालेजों के लिए)

2. क्या धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत शामिल किया गया है या नहींः

3. विभिन्न कक्षाओं में नामांकनः

नामांकन का वर्ष	पुरूष	महिला	
कुल छात्रों की संख्या			
	स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर एम0फिल0 अन्य कुल	स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर एम0फिल0 अन्य कुल	
		संख्या	
संख्या			
तीन		का	का
अकादमिक		प्रतिशत	
प्रतिशत			
सत्र'			

*''वर्तमान सत्र', जब प्रस्ताव को इस सत्र से दो सत्र पूर्व प्रस्तुत किया गया हो।

4. छात्रों की संख्या जिन्हें छात्रावास उपलब्ध कराया गया — पुरूष................. महिला..............

5.(क) प्रस्तावित छात्रावास में अतिरिक्त कितने छात्रों को आवास उपलब्ध कराया जायेगाः

(ख) क्या यह मौजूदा छात्रावास का विस्तार है या नए छात्रावास हेतु प्रस्ताव है.........
(इस योजना के लिए संस्वीकृत निधियों को ग्यारहवीं योजना विकास स्कीम के तहत अनुमोदित भवन निर्माण हेतु विपथन नहीं किया जाए)

(ग) यदि संस्थान ने ऐसा कोई प्रस्ताव पूर्व की योजनाओं के दौरान विचार करने हेतु प्रस्तुत किया है तो परियोजना की वर्तमान अवस्थिति के साथ–साथ इस बावत एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाए.....

6. प्रस्तावित छात्रावस की आवश्यकता तथा उसका औचित्य प्रतिपादन..... (एक संक्षिप्त टिप्पण संलग्न किया जाए)

क्र0सं0	**मद**	**अनुमेय क्षेत्र**	**योजनाओं में वि0अ0आ0 मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराया गया क्षेत्र (कृपया इसे भरें)**
1.	लिविंग रूम		
	(क)	सिंगल सीटर	8 से 9 वर्ग मी0 प्रति छात्र
	(ख)	डबल सीटर	7.5 से 8 वर्ग मी0 प्रति छात्र
	(ग)	थ्री सीटर	7 से 7.5 वर्ग मी0 प्रति छात्र
	(घ)	स्नातकोत्तर/अनुसंधान स्कालरों के लिए शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के लिए प्रति व्यक्ति 10 वर्ग मी0 से अधिक	
2.	छात्रावास में छात्रों की संख्या के 25 प्रतिशत के लिए 60 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 2 वर्ग मी0 प्रति उपयोगकर्ता की दर से एक साझा कक्ष (कॉमन रूम)।		
3.	छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के लिए 40 वर्ग मी0 के अध्यधीन एक वर्ग मीटर की दर से भोजन कक्ष (डाईनिंग रूम)		
4.	60 वर्ग मी0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन भोजन करने वाले प्रति व्यक्ति के लिए 0.5 वर्ग मीटर की दर से रसोई घर और पैंटरी।		
5.	शौचालय ब्लाक		
	(i)	वाटर क्लोजेट	आठ महिलाओं के लिए 1 की दर से
	(ii)	स्नानघर	छह महिलाओं के लिए 1 की दर से
	(iii)	यूरीनल	आठ महिलाओं के लिए 1 की दर से

	(iv) वाश बेसिन	आठ से 10 छात्रों के लिए 1 की दर से
6.	रसोई घर में नौकर	डब्ल्यू सी और स्नानघर के साथ 9.60 वर्ग0मी0 का एक कमरा
7.	आगन्तुक कक्ष	9.60 वर्ग मी0 का एक कक्ष
8.	रोगी कक्ष	9.60 वर्ग मी0 का एक कक्ष
9.	वाचनालय	दो वाचनालय

(औसत क्षेत्रफल प्रति रीडर 2.33 वर्ग मी0 की दर से होना चाहिए)

10.	चाहरदीवारी	आवश्यक होने पर छात्रावास के इर्द–गिर्द
11.	फर्श की ऊँचाई	3.40 मीटर
12.	कुल निर्माण क्षेत्रः	कुल लिविंग क्षेत्र का 2.5 गुणा (सर्कूलेशन स्थान कुर्सी क्षेत्र के 25 प्रतिशत की दर से होना चाहिए)
13.	वार्डन.....	100 छात्रों या इतने ही छात्रों के लिए सहायक वार्डन तथा एक वार्डन (अविवाहित वार्डन के लिए छात्रावास में दो कमरे। विवाहित वार्डन के लिए 115.32 वर्गमीटर से अधिक न हो।)

उपरोक्त मानदण्ड सुझाव स्वरूप हैं तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल उन्हें संशोधित किया जा सकता है।

लागत सार

नक्शे में दर्शाया गया कुल कुर्सी क्षेत्र

नक्शे में दर्शाया गया कुल निर्मित क्षेत्र

प्रति वर्ग मीटर लागत

राशि

(लोनिवि/केलोनिवि की वर्तमान अनुसूची के अनुसार)

अन्य (विद्युतीकरण, जलापूर्ति तथा साफ–सफाई (आंतरिक सेवाओं, बाहरी सेवाओं, आकस्मिताओं, वास्तुविद् की फीस आदि सहित)

लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन शुल्क

कुल अनुमानित लागत (क) रूपये

फर्नीचर (ख) रूपये

महायोग (क़ख) रूपये

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्राचार्य

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

योग्य अभियन्ता*/पंजीकृत

वास्तुविद् का नाम और पूरा पता

(साफ अक्षरों में)

(वास्तुविद् के मामले में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकरण नम्बर व उसका पूरा पता दिया जाए)

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि) विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियनता के पद से कम न हो)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. भूमि जिस पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है वह विश्वविद्यालय/कालेज के अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे में है (किसी कालेज के मामले में, अगर भूमि न्यास/सोसायटी के अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे में है, तो एक अप्रतिसहार्य संकल्प, यथोचित रूप से पंजीकृत जिसमें यह दर्शाया गया हो कि भूमि जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है वह कालेज के विशिष्ट उपयोग हेतु चिन्हित है, उपलब्ध कराया जाए)।

2. वि0अ0आ0 के भाग से इतर व्यय को :–

क. कालेज/विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किया जाएगा।

ख. राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(जो लागू नहीं है, उसे काट दें)

3. ढांचा जिस पर निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है वह प्रस्तावित निर्माण का भार वहन करने के लिए ढांचागत रूप से दुरूस्त है।

4. मांगी गई सुविधा/अनुदान मान्यता प्रदान करने की शर्त को पूरा करने के लिए नहीं है। (यह केवल कालेज के मामले में ही लागू है)।

5. ऊपर दिए गए नामांकन के आंकड़े कार्यालय रिकार्ड के अनुसार दिए गए हैं तथा उस विशिष्ट वर्ष के छात्रों की वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं।

प्राचार्य के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

दर अनुरूपता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान.....में.....
(कालेज का नाम)
.....के प्रस्तावित निर्माण के लिए अनुमान को वर्ष.....के लिए
(भवन का नाम)
क्षेत्र की लोनिवि/केलोनिवि दरों के आधार पर तैयार किया गया है।

हस्ताक्षर (मुहर सहित) **योग्य अभियन्ता'/पंजीकृत**
प्राचार्य **वास्तुविद् के हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

(वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण संख्या तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) ।

- सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम)/विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

नोटः

सेवाओं के लिए प्रावधान (आंतरिक जलापूर्ति तथा सेनेटरी सस्थापनाओं, आंतरिक विद्युतीकरण तथा बाहरी सेवाओं), आकस्मिता, वास्तुविद् की फीस, स्ट्रक्चरल इंजीनियर/परामर्शदाता शुल्क, लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार को निम्नवत ब्यौरे के अनुसार तैयार किया जाए।

(क) जलापूर्ति और सेनेटरी सस्थापनाएं – रू0
(सिविल कार्य लागत के 7.5 प्रतिशत की दर से)

(ख) विद्युतीकरण, सिविल कार्य लागत के 10 प्रतिशत की दर से (बिना पंखों के अथवा 12.5 प्रतिशत (पंखों सहित) – रू0

(ग) बाहरी सेवाएं (सिविल कार्य लागत की 5 प्रतिशत की दर से) – रू0

(घ) लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार – रू0
(सिविल लागत का 0.5 प्रतिशत) बशर्ते उपलब्ध कराया गया नक्शा तथा अनुमान को लोनिवि/केलोनिवि इंजीनियरों द्वारा तैयार न किया गया हो।

(ड़) आकस्मिताएं (सिविल कार्य लागत (सेवाओं सहित) की 3 प्रतिशत की दर से) – रू0

(च) वास्तुविद् फीस/पर्यवेक्षण प्रभार (भवन की कुल अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत की दर से) – रू0
(सेवाओं, आकस्मिताओं सहित परन्तु फन्नीचर की लागत छोड़कर)

(छ) कुल अनुमानित लागत (क) – रू0

(ज) फर्नीचर (ख) – रू0
(छात्रावास के लिए एक बिस्तर, एक रीडिंग टेबल और प्रति सीट एक कुर्सी)

महायोग (क़+ख) – रू0

बाह्य सेवाओं में मुख्य भवन से मौजूदा मेन तक सेवा कनेक्शन (जल, विद्युत तथा सीवर) हेतु प्रावधान तथा भवन हेतु आवंटित प्लाट क्षेत्र का विकास शामिल होगा।

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विभिन्न भवन परियोजनाओं तथा कैम्पस विकास हेतु अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की सूची।

1. अनुमानों का सार।
2. दर अनुरूपता प्रमाण पत्र।
3. नक्शे तथा विस्तृत अनुमानों की दो प्रति अभियंता/वास्तुविद् द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित तथा रजिस्ट्रार/प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
5. भवन समिति के घटक (ग्यारहवीं योजना के भवन दिशानिर्देशों के अनुसार समिति का गठन किया जाए)।

क. भवन की योजना तथा अनुमानों को भवन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है रजिस्ट्रार/प्राचार्य द्वारा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र।

ख. रजिस्ट्रार/प्राचार्य द्वारा एक प्रमाण पत्र कि नक्शे व अनुमान आयोग द्वारा सुझाए गए मानकों तथा दरें क्षेत्र के सीएसआर के अनुरूप हैं।

6. भवन समिति संकल्प की प्रति जो उपस्थित सदस्यों द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें वर्ग मीटर के आधार पर कवर क्षेत्र, दरों/दर की अनुसूची के आधार पर अनुमान का आधार, परियोजना पूर्ण करने की अवधि तथा निर्माण आरंभ किए जाने की संभावित तिथि दी गई हो।
7. रजिस्ट्रार/प्राचार्य द्वारा भू–स्वामित्व तथा कब्जा प्रमाणपत्र।
8. निर्माण का माध्यम अर्थात् ठेकेदार के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा स्वयं कालेज द्वारा निक्षेप कार्य।
9. सक्षम प्राधिकारी (रजिस्ट्रार/प्राचार्य) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वि0अ0आ0 अनुदान से अतिरिक्त किये गये व्यय, यदि कोई हो तो, को विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं किया जाएगा।

10. अर्हता प्राप्त अभियंता/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा मौजूदा ढांचे की दुरूस्तता के संबंध में प्रमाण पत्र, की यह ढांचा प्रस्तावित भवन का भार सहने में सक्षम है, यदि अब या भविष्य में इसका निर्माण, भवन के भूतल के ऊपर किया जाना हो। (भूतल से आरंभ होने वाले नए निर्माण के लिए लागू नहीं)

11. भूतल से आरंभ होने वाले नए निर्माण के संबंध में अर्हता प्राप्त अभियंता से मृदा रिपोर्ट।

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

भवन परियोजना हेतु अनुदान जारी करने के लिए प्रगति रिपोर्ट

1. संस्थान का नामः
2. यूजीसी द्वारा योजना को अनुमोदित करने का सस्वीकृति पत्र तथा दिनांक.....
3. कुल अनुमोदित लागतः
   - क. वि0अ0आ0 का हिस्साः
   - ख. संस्थान/राज्य/केन्द्र सरकार का हिस्सा
4. कुल स्वीकृत की गई निविदा लागतः
5. निर्माण कार्य आरंभ करने की तिथिः
6. कुल प्राप्त राशिः
   - क. वि0अ0आ0 से; तथा
   - ख. उपरोक्त 3 के समक्ष संस्थानों/राज्य/केन्द्र सरकार से
7. वास्तव में किया गया कुल व्यय अर्थात् किए गए कार्य या प्राप्त आपूर्ति के लिए किए गए बिलों का भुगतान
   - (क) वि0अ0आ0 के हिस्से के समक्ष
   - (ख) संस्थान/राज्य/केन्द्र सरकार के हिस्से के समक्ष
8. प्राप्त राशि में से हस्तगत शेष राशि, यदि कोई हो तो/
   - (क) वि0अ0आ0 से
   - (ख) उपरोक्त 3 के समक्ष संस्थानों/राज्य/केन्द्र सरकार से
9. अगले तीन माह/छह माह में होने वाले संभावित व्यय को पूरा करने के लिए जारी की जाने वाली अपेक्षित राशिः–

10. कोई परियोजना जिसमें निर्माण कार्य किया जाना हो, अब तक पूर्ण किए गए निर्माण कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि योजना को आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई है।

11. विपथन, यदि कोई हो तो, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। निर्माण की लागत पर इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा उपयोग अनुदान के साथ सम्बद्ध निबंधन व शर्तों के अनुरूप किया गया है। अगर जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि के प्रतिदाय, समायोजना अथवा विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षर व मुहर **हस्ताक्षर व मुहर**

अर्हक अभियंता*/पंजीकृत वास्तुविद्** **प्राचार्य (कालेज)**

*सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम)/विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

** (वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण संख्या तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) ।

नोट :– इसमें दिए गए क्रम आदेश अथवा दिए जाने वाले संभावित क्रयादेश, की गई वचनबद्धताएं अथवा भविष्य में प्राप्त किए जाने की संभावना वाली विशिष्ट मदों के लिए चिन्हित राशि से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा .... के लिए अनुमोदित संस्थान के भाग सहित, यदि कोई हो तो .... रुपये के कुल अनुदान को संस्थान द्वारा संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक ..... के पत्र सं. . ..... में विहित निबंधन व शर्तों के अनुरूप उपयोग किया गया है। संस्थान द्वारा सभी निबंधन व शर्तें पूरी की गई थी तथा अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसका अनुमोदन किया गया था।

संस्थान ने उपरोक्त परियोजना को पूरा करने के लिए ..... रुपये के बराबर भाग का योगदान दिया है (यदि आयोग द्वारा हिस्सेदारी के आधार पर सहायता दी गई हो)।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान के फलस्वरूप मुख्यतः अथवा पूर्ण रूप से सृजित/उपार्जित स्थायी अथवा अर्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों की फेहरिस्त (इन्वेन्टरी) का रखरखाव विदित प्रारूप में किया जा रहा है तथा इसे अद्यतन किया जाता है तथा इन परिसम्पत्तियों की बिक्री नहीं की गई है, न ही किसी अन्य उद्देश्य से विल्लंगम किया गया है या उपयोग किया गया है।

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्राचार्य के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

कृपया नोट करें :–

1. विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण भी संलग्न होने चाहिए।

2. केवल पुस्तकों, उपस्करों, भवन एवं अन्य अनावर्ती मदों के लिए अनुमोदित अनुदान हेतु, परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुलग्नक–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक .... के पत्रांक सं. एफ0..... के तहत ..... के अनुमोदित निर्माण कार्य को ..... रुपये की लागत से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा कर दिया गया है। कार्य स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

अर्हता प्राप्त अभियंता* / पंजीकृत
वास्तुविद् के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

(वास्तुविद् के मामले में, वास्तुकला परिषद् की पंजीकरण संख्या तथा उनका पूरा पता दिया जाए।)

* सरकारी विभाग / उपक्रम / स्वायत्त निकाय (जिला परिषद् / निगम आदि) विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होना चाहिए।

अनुलग्नक–VI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सृजित/उपार्जित स्थायी अथवा अर्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों की फेहरिस्त (इन्वेंटरी) का विहित प्रपत्र में रखरखाव किया जा रहा है तथा इन्हें अद्यतन किया जा रहा है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुलग्नक–VII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आय और व्यय विवरण

.....के संबंध में आय और व्यय के लेखापरीक्षित विवरण जिसे वि0अ0आ0 द्वारा उनके दिनांक.....के पत्रांक सं.....के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।

आय व्यय

1.	वि0अ0आ0 द्वारा प्राप्त अनुदान.....	1.	आकस्मिताओं सहित सिविल कार्य.....
2.	राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान....	2.	जलापूर्ति और सेनेटरी सस्थापनाएं.....
3.	संस्थान का अंशदान.....	3.	विद्युतीकरण
4.	अन्य, यदि कोई हो तो.....	4.	बाह्य सेवाएं.....
5.	वास्तुविद् की फीस.....		
6.	फर्नीचर, यदि कोई हो तो.....		

कुल..... **कुल.....**

हस्ताक्षर (मुहर सहित) **हस्ताक्षर (मुहर सहित)**

प्राचार्य **सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक**

अनुलग्नक–VIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण पत्र

(समापन दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक .... के पत्रांक सं0 ..... के माध्यम से ..... हेतु संस्वीकृत .... रुपये (रुपये .....) के अनुदान को आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो आपत्तिगत पूर्ण राशि के प्रतिदाय अथवा विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

प्राचार्य के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुलग्नक–**IX**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन लागत प्रोफार्मा

संस्थान का नामः.....

योजनाः.....

परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्रफल.....

क्र. सं.	**कार्य की प्रकति**	**अनुमानों का मूल्य**	**स्वीकृत निविदा का मूल्य**	**समापन लागत**	**अनुमानों/स्वीकृत निविदा की तुलना में समापन लागत में वृद्धि/कमी के कारण**
1.	सिविल कार्य (अनुमानों का मूल्य लोनिवि/केलोनिवि द्वारा अनुमोदित होना चाहिए)				
2.	आंतरिक जलापूर्ति और साफ सफाई				
3.	आंतरिक विद्युतीकरण				
4.	बाह्य सेवाएं				
5.	फर्नीचर				
(i)	वास्तुविद् की प्रदत्त	**कुलः**			

	फीस (पर्यवेक्षक प्रभार सहित)				
	कुल समापन लागतः				
(ii)	कृपया कुल–सचिव/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें (नमूना अनुलग्नक–V पर संलग्न है।)				

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

अर्हता प्राप्त अभियंता*/पंजीकृत
वास्तुविद् के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

(वास्तुविद् के मामले में, वास्तुकला परिषद् की पंजीकरण संख्या तथा उनका पूरा पता दिया जाए।)

* सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होना चाहिए।

अनुलग्नक–X

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) दौरान भवन के निर्माण के लिए कालेजों को विकास सहायता हेतु योजना के लिए दिशानिर्देश।

1. **प्रस्तावना**

किसी भी संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बड़े पैमाने पर अवसंरचना, प्राथमिक रूप से भवनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सीमित संसाधनों के साथ, कालेजों को नए भवनों का निर्माण करने और मौजूदा भवनों के पुनरुद्धार करने में समस्या होती है। कालेजों को विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण/पुर्नरुद्धार में मदद करने के उद्देश्य से, वि0अ0आ0 प्रत्येक योजना में सामान्य विकास सहायता के भाग के रूप में कालेजों को सहायता प्रदान करता है। कालेज भवन के निर्माण के लिए किसी योजना अवधि के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत कुल आवंटित अनुदानों के 60% तक सहायता के रूप में प्राप्त कर सकता है।

2. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य (मौजूदा भवनों) अर्थात् कक्षाओं, ग्रंथागार, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक ब्लॉको, कर्मचारी आवासों, छात्रावासों तथा अन्य भवनों आदि के लिए कालेजों को 'विकास सहायता' योजना के तहत पुर्नरुद्धार/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उद्देश्य कालेजो को अवसंरचना के समेकन तथा विस्तार करने में मदद देना है।

3. **पात्रता/लक्षित समूह**

वे कालेज जो वि0अ0आ0 द्वारा वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत अनुरक्षित कालेजों की सूची में शामिल हैं, इस अनुदान के लिए पात्र हैं।

4. **इस योजना के तहत उपलब्ध सहायता की प्रकृति**

वि0अ0आ0, शत–प्रतिशत आधार पर अनुमोदित उच्चतम सीमा के भीतर भवनों के निर्माण तथा पुर्नरुद्धार एवं विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

5. **योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया**

5.1 **भवन संबंधी समिति एवं इसकी संरचनाः** भवन परियोजना हेतु सहायता के लिए आवेदन करने से पहले कालेज को निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक भवन समिति का गठन करना चाहिए :–

क. कालेज का प्राचार्य/प्रभारी शिक्षक।

ख. उप प्रधानाचार्य (यदि नियुक्ति किया गया हो)।

ग. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि।

घ. के0लो0नि0वि0/लो0नि0वि0/जिला परिषद्/निगमों आदि का एक प्रतिनिधि (सहायक अभियंता के पद से नीचे नहीं होना चाहिए)।

ड. कालेज के शिक्षकों में से दो प्रतिनिधि। कर्मचारी आवासों के मामले में, गैर–शिक्षण स्टाफ के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

च. उपयोग–कर्ता शिक्षण विभागों से एक प्रतिनिधि।

छ. प्रशासनिक तथा लेखा दोनों ही विभागों से एक–एक प्रतिनिधि।

ज. कालेज द्वारा नियुक्त एक वास्तुविद्।

5.2 भवन समिति, कालेज द्वारा प्रस्तावित विभिन्न भवन परियोजनाओं के नक्शे तथा अनुमानों को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित नक्शे तथा अनुमानों के अनुसार भवन के निर्माण को पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा यह वि0अ0आ0, सरकार तथा कालेज द्वारा अपने संसाधनों द्वारा उगाही गई निधियों के लिए उचित उपयोग हेतु उत्तरदायी होगी।

5.3 भवन समिति द्वारा वि0अ0आ0 सहायता के माध्यम से भवन निर्माण परियोजना को कार्यान्वित करने का संकल्प लेने के बाद, कालेज को अंतिम रूप से अनुमोदन देने के लिए वि0अ0आ0 के समक्ष निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

6. **भवन निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेज**

1. वि0अ0आ0 दिशानिर्देशों के अनुसार भवन समिति की संरचना।

2. भवन समिति के संकल्प की एक प्रति जिसमें कालेज का नाम, भवन परियोजना का नाम, भवन के प्रकार, वर्ग मीटर में कवर क्षेत्रफल, प्रति वर्ग मीटर लागत,

अनुमान का आधार, दरों की अद्यतन अनुसूची, परियोजना को पूरा करने की अवधि, निर्माण आरंभ किए जाने की संभावित तिथि तथा निर्माण की पद्धति (राज्य लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि.0/कालेज/ठेकेदार/निजी निर्माण एजेंसियों के पास निक्षेप कार्य) को दर्शाया गया हो। संकल्प में समिति में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें कालेज के प्राचार्य द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

3. लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम)/विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित दर अनुरूपता प्रमाण पत्र तथा कुल लागत का सार (अनुलग्नक–X–क)

4. प्राचार्य तथा अर्हक अभियंता/वास्तुविद द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित विस्तृत अनुमान (अनुलग्नक–X–ख)

5. अर्हक अभियंता/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा विधिवत् रूप से तैयार किया गया तथा हस्ताक्षरित प्रस्तावित भवन परियोजना का भवन नक्शा जो कालेज के प्राचार्य/प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। भवन में भूतल पर रैंप और शौचालय का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि निशक्त व्यक्तियों को भवन के उपयोग हेतु सक्षम बनाया जा सके।

6. भवन परियोजना प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–X–ग)

7. **परियोजनात्मक ब्यौरा**

कालेज, आयोग द्वारा अनुमोदित भवन परियोजना का कार्य आरंभ करने से पूर्व जिसमें उसकी आयोजना, वास्तुशिल्प संबंधी डिजाईन, ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करना तथा निर्माण कार्य शामिल है, निम्नलिखित एक विकल्प को अपना सकता है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य के निष्पादन में दो से अधिक एजेंसियां शामिल न की जाएं।

क. आयोजना, वास्तुशिल्पीय डिजाईन, ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करना तथा निर्माण कार्य के निष्पादन कार्य को संपूर्णतः निक्षेप कार्य के रूप में, जैसा भी मामला

हो, के0लो0नि0वि0, राज्य लो0नि0वि0 अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपा जा सकता है।

अथवा

ख. वास्तुविद् (वास्तुशिल्प परिषद् के साथ पंजीकृत) वास्तुशिल्प डिजाईन तैयार कर सकते हैं। वास्तुविद् का चयन करने पूर्व, एक राष्ट्रीय तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। भवन समिति अंतिम चयन करेगी। शेष कार्य अर्थात् ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करना तथा कार्य निष्पादन को निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदार को दिया जा सकता है।

कालेज एक राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में निर्माण परियोजना आरंभ करने के लिए निविदा सूचना दे सकता है। सामान्यतः न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया जाएगा और अगर न्यूनतम निविदा पर सहमति नहीं बनती है तो कालेज को इसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

अथवा

ग. कार्य के निष्पादन को स्वयं कालेज द्वारा किया जा सकता है बशर्ते इसके पास कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम, प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ सिविल अभियांत्रिकी विभाग हो। अनुमान तैयार करते हुए वास्तुविद्/अभियंता को यह देखना चाहिए कि यह के0लो0नि0वि0 अथवा लो0नि0वि0 की दरों की अनुसूची तथा विशिष्टताओं पर आधारित है। अनुमानों में के0लो0नि0वि0 अथवा लो0नि0वि0 अनुसूची में संगत संख्या को दर्शाया जाना चाहिए जिसके आधार पर अनुमान तैयार किए गए हों तथा पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता जिसने अनुमान तैयार किए हो उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वे के0लो0नि0वि0 या संबंधित लो0नि0वि0 की दरों की अनुसूची के अनुरूप हैं।

8. वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

8.1 उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर, वि0अ0आ0 प्रस्ताव को संसाधित करेगा तथा संस्थान को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से अवगत कराएगा।

8.2 वि0अ0आ0 से अनुमोदन प्राप्ति पर, कालेज मद–दर आधार पर निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कालेज कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक

तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस के माध्यम से दिलचस्पी दिखाने वाली पार्टियों द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। कार्य सौंपे जाने के तीन माह के भीतर आयोग को सूचना भेजी जा सकती है तथा इसमें निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होनी चाहिए :–

- अनुमानों का मूल्य जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।
- प्राप्त निविदाओं की संख्या।
- न्यूनतम निविदा का मूल्य।
- स्वीकृत निविदा का मूल्य; तथा
- न्यूनतम निविदा को आमंत्रित न किए जाने का विशिष्ट कारण।

भवन समिति द्वारा बैठक, जिसमें अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला पृष्ठभूमि से कम से कम दो प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से मौजूद हों, में अनुमोदन के माध्यम से निविदा के विस्तृत अनुमान तथा निविदा की स्वीकार्यता को अंतिम रूप दिया जाए। संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा इसे प्रमाणित कर वि0अ0आ0 को भेजा जाना चाहिए।

8.3 अगर के0लो0नि0वि0 अथवा राज्य लो0नि0वि0 अथवा समकक्ष सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में अथवा स्वयं कालेज द्वारा इसके सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है तो निविदा सूचना की आवश्यकता नहीं होती है।

9. **<u>वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया</u>**

क. योजना तथा अनुमानों पर वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन दिए जाने के समय अनुमोदित अनुदान का 50% जारी किया जाएगा।

ख. लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा लेखापरीक्षित व्यय विवरण साथ ही निर्माण के चरण को दर्शाते हुए पहली किश्त की प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुमोदित अनुदान का 40% जारी किया जाएगा। **(अनुलग्नक–X-घ एवं X–ड.)**

ग. शेष 10% अनुदान को समापन दस्तावेज की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा। समापन दस्तावेजों में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे :–

1. अंतिम लागत, यदि कोई हो तो, को दर्शाते हुए संशोधित अनुमान।
2. कुल लागत के लिए लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक–X–घ)**।
3. लेखापरीक्षित आय तथा व्यय विवरण **(अनुलग्नक–X–घ)**।
4. लेखापरीक्षित परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र **(अनुलग्नक–X–ड.)**।
5. प्राचार्य (अथवा प्रभारी शिक्षक या उप प्राचार्य) तथा अर्हक अभियंता तथा/अथवा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा हस्ताक्षरित समापन प्रमाणपत्र/दस्तावेज **(अनुलग्नक–X–छ)**
6. बाहरी एवं आंतरिक दृश्य को दर्शाने वाले चित्र।

अनुलग्नक–I

दर अनुरूपता प्रमाण पत्र एवं लागत सार

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान (कालेज का नाम) .. .. (भवन का नाम) ..... के प्रस्तावित निर्माण हेतु अनुमान को वर्ष के लिए क्षेत्र के लोनिवि/केलोनिवि दरों की मौजूदा अनुसूची के आधार पर तैयार किया गया है।

लागत सार

नक्शों में दिया गया कुल 'कुर्सी क्षेत्र' (प्लिंथ एरिया) :

नक्शों में दिया गया कुल 'निर्माण क्षेत्र' :

प्रति वर्ग मीटर लागतः

सिविल कार्य की लागत	राशि
(लोनिवि/केलोनिवि दरों की वर्तमान अनुसूची के आधार पर)	रू0
अन्य (विद्युतीकरण, जल आपूर्ति तथा साफ–सफाई (आंतरिक सेवाएं)	
बाहरी सेवाएं, आकस्मिताएं, वास्तुविद् की फीस	रू0
(पर्यवेक्षण प्रभार)	
(लोनिवि/केलोनिवि/सत्यापन प्रभार)	
कुल अनुमानित लागत (क)	रू0
फर्नीचर (ख)	रू0
कुल योग (क+ख)	

प्राचार्य के हस्ताक्षर मुहर सहित

योग्य अभियन्ता*/पंजीकृत वास्तुविद् के हस्ताक्षर सहित मुहर

**नाम और पूरा पता

(साफ अक्षरों में)

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि) विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियनता के पद से कम न हो)

**(वास्तुविद् के मामले में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकरण नम्बर व उसका पूरा पता दिया जाए)

अनुलग्नक–II

विस्तृत अनुमान

1. एक प्रमाण पत्र कि भवन परियोजना का अनुमान लोनिवि/केलोनिवि/स्थानीय नगर निगम/प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसी प्रकार की निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप है।

2. सेवाओं के लिए प्रावधान (आंतरिक जलापूर्ति तथा शौचालयों में संस्थापनाओं, आंतरिक विद्युतीकरण तथा बाहरी सेवाओं), आकस्मिताओं, वास्तुविद् की फीस, स्ट्रक्चरल इंजीनियर/परामर्शदाता की फीस, लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा :–

क. जलापूर्ति और शौचालय संस्थापनाएं रु0.....
(सिविल कार्य लागत के 7.5 % की दर से)

ख. सिविल कार्य की लागत के 10% (बिना पंखों के) अथवा 12.5% (बिना पंखों के), ग्रंथालय के लिए 15% (पंखों के साथ) की दर से विद्युतीकरण

ग. बाह्य सेवाएं (सिविल कार्य लागत की 5% की दर से)

घ. लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार
(सिविल लागत की 0.5% की दर से) बशर्ते कि उपलब्ध कराया गया नक्शा तथा अनुमान लोनिवि/केलोनिवि अभियंताओं द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

ड. आकस्मिताएं (सिविल कार्य लागत को 3% की दर से (सेवाओं सहित)

च. वास्तुविद् की फीस/पर्यवेक्षण प्रभार
(भवन की कुल अनुमानित लागत के 5% की दर से जिसमें सेवाएं आकस्मिताएं शामिल हैं, परन्तु फर्नीचर की लागत शामिल नहीं है)

ज. कुल अनुमानित लागत (क) रुपये

झ. फर्नीचर (ख)
(छात्रावासों के लिए एक चारपाई एक पढ़ने वाली मेज तथा प्रति सीट एक कुर्सी

की वास्तविक लागत)

कुल योग (क+ख) रुपये

3. बाह्य सेवाओं के तहत प्रावधान में मुख्य भवन से मौजूदा मेन तक सर्विस कनेक्शन (जल, विद्युत तथा सीवर) तथा भवन को आवंटित प्लाट क्षेत्र का विकास शामिल होगा।

अनुलग्नक– III

भवन परियोजना प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है किः

क. भवन के नक्शे तथा अनुमान भवन संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित है तथा आयोग द्वारा विदित मानदण्डों के अनुरूप है तथा दरें क्षेत्र के सीएसआर के अनुसार हैं।

ख. भूमि जिस पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है वह कालेज/न्यास/सोसायटी के अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे में है (अगर भूमि/न्याय/सोसायटी /के नाम है तो यथोचित रूप से पंजीकृत एक अप्रतिसंहार्य संकल्प, कि भूमि जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है वह कालेज के विशिष्ट उपयोग के लिए चिन्हित है, उपलब्ध कराया जाए।)

ग. प्रस्तावित निर्माण को राज्य लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0 अथवा कालेज/निविदा के साथ निक्षेप कार्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा (जो लागू नहीं है, उसे काट दें)

घ. वि0अ0आ0 से अतिरिक्त व्यय यदि कोई हो तो, को कालेज द्वारा उसके स्वयं के संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं किया जाएगा।

ड. यदि प्रस्तावित भवन को भूतल इमारत के ऊपर बनाया जाना है/(अथवा विस्तार किया जाना है) तो प्रस्तावित भवन का भार सहने में मौजूदा इमारत के ढांचे की ढांचागत सुदृढ़ता का ब्यौरा।

च. कालेज द्वारा पूर्व में प्रस्तावित निर्माण के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

छ. परियोजना को महीनों में समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा मुहर

#अर्हक अभियंता* / पंजीकृत वास्तुविद् ** द्वारा प्रमाण पत्र को संलग्न करें।

* सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय (जिला परिषद / निगम्) / विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता से कम स्तर न हो।

** (वास्तुविद् के मामले में वास्तुकला परिषद् द्वारा पंजीकरण संख्या को वास्तुकार के पूर्ण पते सहित दिया जाना चाहिए।)

अनुलग्नक– IV

लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा आय और व्यय का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके दिनांक .. .. के पत्रांक सं. ..... के माध्यम से ..... के निर्माण के लिए संस्वीकृत .....रुपये (..... रुपये) के अनुदान को उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया है तथा आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

जांच अथवा लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप यदि बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्ति की राशि के प्रतिदाय, समायोजन अथवा उसे विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षर व मुहर प्राचार्य

हस्ताक्षर व मुहर सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक

वि0अ0आ0 द्वारा दिनांक ..... के पत्रांक संख्या..... के माध्यम से (भवन परियोजना का नाम) के संबंध में आय तथा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण।

आय	व्यय
_____	_____

1.	वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान	(1)	आकस्मिता सहित सिविल कार्य
2.	राज्य/केन्द्र सरकार से अनुदान	(2)	जलापूर्ति तथा साफ–सफाई
3.	कालेज का योगदान	(3)	विद्युतीकरण_____
4.	अन्य यदि कोई हो तो	(4)	बाह्य सेवाएं_____
		(5)	वास्तुविद् की फीस_____
		(6)	फर्नीचर, यदि कोइ हो, तो_____
	कुल_____		कुल_____

दिनांक_____

मुहर सहित हस्ताक्षर

प्राचार्य

मुहर सहित हस्ताक्षर

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक

अनुलग्नक–V

जारी की गई निधियों की प्रगति रिपोर्ट

1. योजना का नाम
2. योजना को अनुमोदित करने के संबंध में वि0अ0आ0 के संस्वीकृति पत्र की संख्या तथा दिनांक
3. कुल अनुमोदित लागत
   क. वि0अ0आ0 का भाग
   ख. कालेज/राज्य सरकार का भाग
4. कुल स्वीकृत निविदा मूल्य
5. कुल प्राप्त राशि
   क. वि0अ0आ0 द्वारा
   ख. उपरोक्त 3 के समक्ष कालेज/राज्य सरकार द्वारा
6. वास्तव में किया गया गया कुल व्यय अर्थात् किए गए कार्य अथवा प्राप्त आपूर्तियों के लिए प्रदत्त बिल
   क. वि0अ0आ0 के हिस्से के समक्ष
   ख. कालेज/राज्य सरकार के हिस्से के समक्ष
7. प्राप्त राशि में से शेष राशि यदि कोई हो तो
   क. वि0अ0आ0 के हिस्से में से
   ख. कालेज/राज्य सरकार के हिस्से में से
8. अगले तीन/छह माह में संभावित व्यय को पूरा करने के लिए राशि जो जारी किए जाने की आवश्यकता है।

9. परियोजना जिसमें निर्माण कार्य किया जाना हो, अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि निर्माण कार्य, आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार किया जा रहा है।

10. विपथन, यदि कोई हो तो, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। निर्माण लागत पर प्रभाव को भी विर्निदिष्ट किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा उपयोग अनुदान के साथ सम्बद्ध निबंधन व शर्तों के अनुरूप किया गया है।

अगर जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि के प्रतिदाय, समायोजना अथवा विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षर व मुहर	हस्ताक्षर व मुहर
अर्हक अभियंता*/पंजीकृत वास्तुविद्**	प्राचार्य (कालेज)

*सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम)/विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

** (वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण संख्या तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) । नोट :– इसमें दिए गए क्रम आदेश अथवा दिए जाने वाले संभावित क्रयादेश, की गई वचनबद्धताएं अथवा भविष्य में

प्राप्त किए जाने की संभावना वाली विशिष्ट मदों के लिए चिन्हित राशि से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

अनुलग्नक– VI

परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा..... .....के लिए प्रदत्त अनुदानों के माध्यम से पूर्ण रूप से/मुख्य रूप से अर्जित स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची का रख–रखाव विहित प्ररूप में किया जा रहा है तथा उसे अद्यतन किया जा रहा है। (उद्देश्य का उल्लेख करें)..... .....

प्राचार्य के हस्ताक्षर, मुहर सहित

सरकारी लेखापरीक्षक/
सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर,
मुहर सहित

अनुलग्नक– VII

समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (कालेज का नाम) में स्थित .... (भवन का नाम) के निर्माण कार्य को ..... रुपये की लागत से संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया गया है तथा पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार है तथा इसके कार्य को बिना किसी परिवर्तन के पूरा पाया गया है। स्थल को उचित रूप से साफ पाया गया है।

प्राचार्य के	अर्हक अभियंता* / पंजीकृत वास्तुविद्**
हस्ताक्षर व मुहर	के हस्ताक्षर व मुहर

- सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय (जिला परिषद् / निगम) / विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

** (वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण साधा तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) ।

नोट : उपरोक्त प्रमाण पत्र में भवन परियोजना की कुल समापन लागत को दर्शाया जाना चाहिए। यह पहले ही प्राप्त निधियों के समायोजन के अध्यधीन होगा। अनुमानों / स्वीकृत निविदा के संबंध में समापन लागत में विभिन्नता के कारण में वृद्धि / कमी, यदि कोई हो तो, का औचित्य सिद्ध करने के लिए दर्शाया जाना चाहिए।